न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 186 / 2023

अनवान : –

1. रामकरण पुत्र छतु राम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जीतेन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
2. सन्तराम उर्फ सुरेन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
3. विद्या पत्नी हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
4. सुनिता पुत्री हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
5. सुमन पुत्री हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी हमीरदेसर तहसील रावतसर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांक: 19/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 653 / 639 के ख0न0 136 की 4.8430 हैक्ट, ख0न0 31 की 3.4650 हैक्ट कुल 8.3080 हैक्ट भूमि जिसके हनुमान प्रसाद पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 31 की 13.14 बीघा, ख0न0 136 की 19.3 बीघा कुल 32.17 बीघा भूमि में से हनुमान प्रसाद पुत्र जीवणराम जाति जाट ने ख0न0 31 की 13.14 बीघा भूमि रामकरण पुत्र छतुराम को दिनांक 12.08.1997 को बैय कर दी तथा वादग्रस्त भूमि का समस्त प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सायल को सौप दिया एवं मुताबिक बैयनामा के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 31 की 13.14 बीघा भूमि का सायल अकेला खातेदार काश्तकार है लेकिन वाद भूमि को शामिलात खाता में दर्ज कर दिया गया एवं हनुमान प्रसाद पुत्र जीवणराम को देहान्त हो चुका है। उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि हनुमान प्रसाद के वारिसान 1 ता 5 के नाम दर्ज हो चुका है। इसलिए गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 31 की 3.4650 हैक्ट भूमि जो की वादी की जरिये बैयनामा खरीद की गई है के कब्जा काश्त में मदाखल बैजा न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 653/639 के ख0न0 31 की 3.4650 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी द्वारा सन 1997 में उक्त भूमि खरीद की गई थी उस समय भी वाद भूमि मुश्तरका दर्ज थी सायल के द्वारा आज तक खाता बाबत कोई ऐतराज नही किया गया। सायल के मन में अब लालच आ गया है। सायल द्वारा लालच वंश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 31 की 13.14 बीघा, ख0न0 136 की 19.3 बीघा कुल 32.17 बीघा भूमि में से हनुमान प्रसाद पुत्र जीवणराम जाति जाट ने ख0न0 31 की 13.14 बीघा भूमि रामकरण पुत्र छतुराम को दिनांक 12.08.1997 को बैय कर दी तथा वादग्रस्त भूमि का समस्त प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सायल को सौप दिया एवं मुताबिक बैयनामा के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 31 की 13.14 बीघा भूमि का सायल अकेला खातेदार काश्तकार है लेकिन वाद भूमि को शामिलात खाता में दर्ज कर दिया गया एवं हनुमान प्रसाद पुत्र जीवणराम को देहान्त हो चुका है। उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि हनुमान प्रसाद के वारिसान 1 ता 5 के नाम दर्ज हो चुकी है। इसलिए गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 31 की 3.4650 हैक्ट भूमि जो की वादी की जरिये बैयनामा खरीद की गई है के कब्जा काश्त में मदाखल बैजा न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की अप्रार्थी द्वारा सन 1997 में उक्त भूमि खरीद की गई थी उस समय भी वाद भूमि मुश्तरका दर्ज थी सायल के द्वारा आज तक खाता बाबत कोई ऐतराज नही किया गया। सायल के मन में अब लालच आ गया है। सायल द्वारा लालच वंश यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह [illegible] मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 653/639 की कुल 8.3080 हैक्ट भूमि भूमि सायल व गैरसायल के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा नामान्तरण की अपील की जानी चाहिए थी यहा दावा लाने के अधिकारी नही है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी रोही मौजा कानसर बहक हनुमान प्रसाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0न0 31 व 136 की भूमि हनुमानप्रसाद के अकेले के नाम दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति बैयनामा के मुताबिक दिनांक 12.08.1997 को हनुमान प्रसाद ने ख0न0 131 की भूमि रामकरण को बैय कर दी थी। हनुमान प्रसाद द्वारा रामकरण को ख0न0 131 की भूमि बैय की थी लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशि साबित होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में क्योंकि रामकरण द्वारा हनुमान प्रसाद से ख0न0 131 की भूमि खरीद गई है लेकिन वर्तमान में वाद भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशि सिद्ध होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना उचित है की वे एकदुसरे के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशि साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 653/639 की 8.3080 हैक्ट भूमि में एक दुसर के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा न करे यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:45 IST
Reason: SelfAttested